

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
95/17	54, 54A, 53A+A	भोरेला	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
श्री लील	बनाम	रायजी	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
24/17	वकील रा.जी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 54, 54A, 53A+A विरुद्ध प्रतिवादी बनाम रिपोर्ट सारिनाम रजिस्ट्रार कार्यालय तलब कर प्रस्ताव	
22/17	वकील वादी उपस्थित थे। प्रतिवादी नं. 1, 3 के सम्पत्त को पर ताफील नहीं हो सकी है, अतः प्रतिवादी 1, 2 की तलबी हेतु छुमः तलबाना पेश करे, वास्तु तलबी दिना. 8/11/18 को 8 वक्क पेश हो	113 वा 2 वाक तलबाना उपपत्र
8/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायाधीश पूर्ववत स्थिति में दिनांक 5-2-18 को पेश हो	
5/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायाधीश पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2-4-18 को पेश हो	
6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018	
16/18	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायाधीश पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/8/18 को पेश हो	



जा/क/ला/18

जीलाल

19.2.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 2.4.24 को पेश हो।

af
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
बनारस (भारा)

2.4.24

पत्रावली पेश हुई। नकील काही व स्वयं काही उपर नहीं के नकील काही व स्वयं काही को रीट बाद अतक लगाने गयी। बावजूद प्रमाण प्रमाण के न्यायालय में उपर नहीं के अतः काही का कस अडक डकरी कस देवी के अतिरिक्त खिदा जाल के पत्रावली फिल (शुभान्त डीकल कास नकील नकील के दाखिल दफ्त हो।

[Signature]